

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज विभाग
(अनुभाग-3)

क.एफ 4(4)नरेगा/स्टाफ/संकलित/09

दिनांक जयपुर

2-JUL 2007

आदेश

2-JUL 2007

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबंधन हेतु राज्य स्तर पर गठित राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद तथा सभी जिलों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों में संविदा/प्रतिनियुक्ति पर निम्न विवरणानुसार पद वित्त विभाग की सहमति उपरान्त पद सृजित किये गये थे। सृजित किये गये पदों की अवधि निरन्तर जारी रखते हुए दिनांक 28.02.10 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

(A) राज्य स्तर पर राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के अधीन स्वीकृत पद

क्र.सं.	पदनाम	पद की प्रकृति	स्वीकृत पद
1.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	प्रतिनियुक्ति	1
2.	अधीक्षण अभियन्ता	प्रतिनियुक्ति	1
3.	अधिक्षापी अभियन्ता	प्रतिनियुक्ति	3
4.	उप वन संरक्षक	प्रतिनियुक्ति	1
5.	सलाहकार आईईसी	संविदा / प्रतिनियुक्ति	1
6.	सलाहकार आयोजना	प्रतिनियुक्ति	1
7.	सलाहकार प्रशिक्षण	संविदा	1
8.	सलाहकार सामाजिक अंकेक्षण	संविदा	1
9.	सलाहकार जन अभियोग निराकरण	संविदा	1
10.	प्रोग्रामर	संविदा	1
11.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	संविदा	10
12.	सहायक	संविदा	10

(B) जिला स्तर पर सृजित पद

क्र.सं.	पदनाम	पद की प्रकृति	स्वीकृत पद
1.	अधिक्षापी अभियन्ता	प्रतिनियुक्ति	प्रति जिला एक
2.	सहायक लेखाधिकारी	संविदा / प्रतिनियुक्ति	प्रति जिला 1 पद
3.	कनिष्ठ लेखाकार	प्रतिनियुक्ति	प्रति जिला एक
4.	अभियान्त्रिकी सहायक	संविदा / प्रतिनियुक्ति	प्रति जिला 1 पद
5.	एमआईएस मैनेजर	संविदा	प्रति जिला 1 पद
6.	प्रशिक्षण समन्वयक	संविदा	प्रति जिला 1 पद
7.	पर्यवेक्षण समन्वयक	संविदा	प्रति जिला 1 पद
8.	आईईसी समन्वयक	संविदा	प्रति जिला 1 पद
9.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	संविदा	प्रति जिला 3 पद

(C) पंचायत समिति स्तर पर सृजित पद

1	कार्यक्रम अधिकारी	संविदा / प्रति नियुक्ति	प्रति पंचायत समिति 1 पद
2	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	संविदा	प्रति पंचायत समिति 1 पद
3	लेखा सहायक	संविदा	प्रति पंचायत समिति 1 पद
5	कनिष्ठ लिपिक	संविदा	प्रथम फेज के छः जिलों की प्रति पंचायत समिति एक पद
6	कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन	संविदा	प्रति पंचायत समिति 1 पद
7	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	संविदा	प्रति पंचायत समिति 2 पद


8	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	संविदा	प्रथम फेज के छः जिलों की प्रति पंचायत समिति एक पद
9	सहायक कर्मचारी / सिक्यूरिटी गार्ड	संविदा	प्रति पंचायत समिति पर 1 पद

(D) ग्राम पंचायत स्तर पर सृजित पद

1	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	संविदा	प्रति 10 ग्राम पंचायत पर 1 पद
2	लेखा सहायक	संविदा	प्रति 10 ग्राम पंचायत पर 1 पद
3	ग्राम रोजगार सहायक	संविदा	प्रति ग्राम पंचायत पर 1 पद

उक्त पदों पर होने वाला व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमत प्रशासनिक एवं प्रबन्धन व्यय की राशि से पूरित होगा। योजनान्तर्गत स्वीकृत सभी पदों पर होने वाले व्यय की सीमा भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार होगी। विभिन्न पदों पर होने वाले व्यय को निर्धारित सीमा में रखने हेतु जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक उक्त पदों में कमी कर सकेंगे।


उक्त पदों की समयावधि दिनांक 28.2.2010 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा अंतर विभागीय टीप संख्या 130902341 दिनांक 29.05.09 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।



परि.निदे.एवं उप सचिव (ग्रामो)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, नरेगा।
5. उप शासन सचिव (वित्त व्यय-5) विभाग, राजस्थान सरकार।
6. उप शासन सचिव (प्रशासन), अनुभाग-1, ग्रामीण विकास विभाग।
7. मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद।
8. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, राजस्थान।
9. समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, राजस्थान।
10. रक्षित पत्रावली।



परि.निदे.एवं उप सचिव (ग्रामो)